

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :-

पुरुषोत्तम पुत्र डाभाराम
जाति कलकी नि जातिपाना

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

डाभाराम

तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरुस्ती

उपस्थिति :- 1. श्री पुरुषोत्तम स्वयं वादी ।
2. श्री डाभाराम प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :- 12.10.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा कारत की भूमि खेत खसरा नं 137, 287, रकबा 20.10 बीघा, सरहद मौजा जातिपाना तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा कारत है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम पुरुषोत्तम होने से राजस्व रेकर्ड में पुरुषोत्तम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 996443610281 जन आधार कार्ड संख्या 9 KY 2244780 मतदाता परिचय पत्र संख्या पुरुषोत्तम राशन कार्ड संख्या पुरुषोत्तम दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी ने राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज पुरुषोत्तम के स्थान पर पुरुषोत्तम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

(पुरुषोत्तम)
सहायक कलेक्टर
(990) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकवाली जवाबदावा पेश कर
वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का
बचपन नाम पुरुषोत्तम के स्थान पर पुरुषोत्तम
दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति व उज एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच तहसीलदार पंचपदरा
तहसील पंचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया
जिसमें नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया
कि खेत खसरा नं 137/337, 287 रकबा 20.10
बीघा, सरहद मौजा जातिमारा तहसील पंचपदरा वादी का नाम बचपन में
लाड-प्यार का नाम पुरुषोत्तम दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में
प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरंपंच ग्राम
पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार पंचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन
स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम पुरुषोत्तम दर्ज किया गया है
वादी का सही नाम पुरुषोत्तम है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने
में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार पंचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं
137/337, 287 रकबा 20.10 बीघा, सरहद मौजा जातिमारा
वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम पुरुषोत्तम पुत्र सिंह
के स्थान पर पुरुषोत्तम पुत्र सिंह खातेदार घोषित किया
जाता है। तहसीलदार पंचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व
रेकॉर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।
निर्णय आज दिनांक 12-10-2021 को कोर्ट केम कोर्ट जातिमारा में मजमे
आम में सुनाया गया।

(निर्णय सीनो)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा